



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1104

जयपुर, दि0 03-10-2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।
प्रसंग:- राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 एवं पंचायती राज विभाग का पत्र क0एफ.4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक 15.9.2017 ।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा-92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने हेतु राजस्व एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रासंगिक परिपत्र द्वारा जारी किये जा चुके हैं । उक्त दोनों परिपत्रों की प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि को छोड़ कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा । सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 01.1.2017 से पूर्व रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड,

बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज़ जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे/छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे में सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में उन्हें सर्वे में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।
3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शों की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।
4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।
6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:-


165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना (4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्तानुसार नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी करते समय ध्यान रखा जायेगा कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, का ही पट्टा जारी करें।
8. ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार को पट्टा नहीं दिया जायेगा यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान/आवासीय भूखण्ड है।

समस्त जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार सर्वे का कार्य तथा तहसीलदार के पास सर्वे आधारित सूचियां 15 दिवस की अवधि में तथा तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य आगामी एक सप्ताह में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।



(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
राजस्व विभाग



(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज

प्रातलापि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।

उप शासन सचिव(विधि)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

कमांक:प.9(6)राज-6/2000/10

जयपुर, दिनांक 7/9/17

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में आवादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भूमि को आवादी विकास के लिए जिला कलक्टर सेट अपार्ट कर सकता है। अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों की भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आवादी के विकास हेतु सेटअपार्ट किया जा सकता है अथवा नहीं बावत विधि विभाग से राय प्राप्त की गई।

विधि विभाग द्वारा इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसार आवादी के विकास हेतु जिला कलक्टर द्वारा ऐसी सरकारी भूमि को भी सेटअपार्ट किया जा सकता है जिस पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से आवास बना रखा है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी सेट अपार्ट भूमि में से विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया जावे।

विधि विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त राय के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि आवादी के विकास हेतु अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आवादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आवादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं।

उक्त काम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र में सिवायक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक आवासगृह बनाकर किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करेंगे। सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी रकम की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों, जिला कलक्टर को भिजवायेंगे।

2. दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न करावे जिससे यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.2017 से पूर्व से निवास कर रहा है।
3. जिला कलेक्टर भूमि सेटअपार्ट करते समय यह ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर एक साथ बसावट हुई है उन भूमियों को ही आवादी विस्तार हेतु सेटअपार्ट करेंगे। छितराई आवादी बसावट को सेटअपार्ट करने में सावधानी रखेंगे ताकि अनावश्यक भूमि सेटअपार्ट नहीं हो।
4. जिला कलेक्टर भूमि सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबन्द करेंगे कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, से अधिक भूमि का पट्टा नहीं दिया जाये।
5. जिला कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में भी पट्टा नहीं दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान है।

उक्त क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्न श्रेणी की भूमि को छोड़ते हुए ही धारा 92 के अन्तर्गत आवादी के विकास हेतु भूमि सेट अपार्ट की जाये:-

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2. किसी तालाब, नदी, नाला, नाडी के जलप्रवाह क्षेत्र में स्थित भूमि, आरण व चरागाह भूमि।
3. विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि।
4. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत अरबनाईजेबल लिमिट या पैराफेरी बेल्ट के अन्तर्गत स्थित भूमि।
5. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित मापदण्डों में स्थित राजकीय भूमि।
6. डीवी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
7. वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।
8. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि।


(खिमराज)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102

जयपुर, दि0 15.9.2017
(15-9-17)

1. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंग:- राजस्व विभाग का परिपत्र प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 ।

राजस्व विभाग के प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आबादी के विकास हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा-92 के तहत सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते हैं । इस परिपत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलेक्टर के निर्देशन में की जानी है ।

जिला कलेक्टर द्वारा परिपत्र अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:-

165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना

(4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियमन कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित करने का विनिश्चय कर सकेगी ।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।


(संयोजक महाराज)